## कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद

पत्रांक 1274 / 14-1 मुरादाबाद दिनांक, अक्टूबर 7, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

विषय:-

जनपद सम्मल में मेरठ-बदायूं मार्ग (राज्य मार्ग-18) किमी० 142.600 से 162.000 तक के 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र सं०— 8बी / यू०पी० / 06 / 52 / 2017 / एफ०सी० / 74 दिनांक 14.08.2017 एवं आपका पत्रांक-473 / बदायूं /23576/2017, लखनऊ, दिनांक 18.08.2017।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र (दिनांक 14-08-2017) द्वारा विषयक प्रस्ताव में इंगित की गई आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल ने अपने पत्र संख्या—728/14—1,दिनांक 14—10—2017. द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या / अभिलेख की 3 मूल

त्रावली अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है—  Observation   Observation of GOI   Reply/Modification (ग्रंगीय (कि.स.))		
No.		Reply/Modification (संशोधन / निराकरण)
	The signature of person authorised to make application on behalf of User Agency has not been authenticated in document uploaded at part-I A-3(xvii)	पार्ट—1 में पार्ट—1 ए—3(XVII) में श्री कर्मवीर सिंह, सहायव अभियन्ता को आवेदन हेतु नामित किया गया है (छायाप्रित संलग्न है)। फार्म—ए पुनः अपलोड कर दिया गया है।
2.	Geo referenced map uploaded at C-b (iv) in part-I of the proposal is without geo coordinates of key points.	जीयो कॉर्डिनेट मैप में अंकित 1 से 43 तक के कॉर्डिनेट के पुनः अपलोड कर दिया गया है, जोकि प्रस्ताव में पृष्ट सं0–28 में अंकित है।
3.	Certificate under FRA 2006 issued from DM Sambhal is without dispatch number, date and language does not include right issues of pre agricultural communities. The certificate needs revision.	जिलाधिकारी, सम्भल द्वारा जारी एफ0आर0ए0—2006 क प्रमाण पत्र पुनः पृष्ठांकन व दिनांक के साथ अपलोड कर दिया गया है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0—60 पर अंकित है।
4.	Linear strip plan needs revision due to the fect that it does not show width of protected forest proposed for diversion on both side along with balanced remaining width chainage wise.	लीनीयर स्ट्रीप प्लान में चैनेज 142.600 से 162.000 तक मार्ग के दोनो ओर 6.00—6.00मीटर संरक्षित वन भूमि प्रस्तावित है, जोकि पृष्ठ सं0—32 पर अंकित है। अवशेष वन भूमि प्रायः सभी जगह शून्य क्षेत्रफल रहेगा।
5.	Details of proposed forest land for diversion chainage wise along with remaining width of PF has not been submitted with the proposal.	उपरोक्तानुसार।
	Gazette notification of forest land in hard copy is not legible.	गजट नोटिफिकेशन की साफ प्रति पृष्ठ सं0–58 व 59 पर संलग्न की गयी है।
	Crown Density of the forest crop is under estimation as around 100 trees per ha. is getting affected. The same needs revision.	पार्ट-2 में काउन डेनिसटी 0.2 के स्थान पर 0.3 कर दी गयी है। जो पृष्ठ सं0-21 पर अंकित है।
	paternior CA shall be reconsidered.	प्रभागीय निर्देशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर ने अपने कार्यालय के पत्रांक—1171/14—1, बिजनौर, दिनांक 11.10.2017 से चांदपुर रेंज के दितयाना वन ब्लाक में 47. 00है0 भूमि का चयन करते हुये, चयनित भूमि के डिजीटल डाटा मानचित्र, टोपोशीट, भूमि उपयुक्ता प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित पृष्ठ सं0—44 से 47 पर संलग्न है। इसे अपलोड भी कर दिया गया है। उक्त भूमि बिजनौर वन प्रभाग द्वारा अतिक्रमण कार्यों से अवमुक्त कराई गई है, जिस हेतु गूगल मेंप पर कृषि भूमि जैसा प्रतीत हो रहा है। उक्त समस्त भूमि बिजनौर प्रभाग के

		• •
		*
9.	Joint Inspection report has been uploaded in place of Site inspection report of DFO in part-II.	डी०एफ0ओ० की संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ—साथ स्थल निरीक्षण आख्या भी पार्ट—।। में अपलोड कर दी गयी है।
10.	Incorrect part-III and V has been uploaded with the proposal.	पार्ट –2 में रिक्मनडेशन में लेटर के साथ पार्ट –3 अपलोड है।
संलग्नक-यथ	प्रोपरि ।	

भवदीय,

(आर०पी० वर्मा) वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 2 / 14-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल को उनके पत्रांक—728/14—1,दिनांक 14—10—2017 के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

> (आर०पी० वर्मा) वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

d